N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT
P.S. (थाना): C.P.S Jaipur
Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0274
Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/11/2024 21:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 25/11/2024
Date To (दिनांक तक): 26/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर
Time From (समय से): 11:15 बजे
Time To (समय तक): 13:13 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 27/11/2024
Time (समय): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003
Date & Time (दिनांक एवं समय) 27/11/2024 21:09:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 06 किमी
Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b) Address(पता): KOTA VIKAS PRADHIKARAN KA PRATHAM TAL, DISTRICT KOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ABHINAV SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): HANSRAJ SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B1307, SHRINATH OASIS KHEDLI FATAK, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B1307, SHRINATH OASIS KHEDLI FATAK, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROCKY ARORA		पिता:MAHESH ARORA	1. 2 M 5 TALMANDI,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

परिवादी श्री अभिनव सिंह पुत्र श्री हंसराज सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी म.न. बी-1307 श्रीनाथ ओएसिस खेडली फाटक कोटा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय रसीद संख्या 1308 दिनांक 08.11.2024, आपत्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 18.10.2024 व स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति सहित मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " मेरा स्वंय का प्लाट संख्या 2 अमृत कलष कॉलोनी सोगरिया कोटा जक्शन में है। मैने मेरे प्लाट के पटटे आवेदन की फाईल दिनांक 23.07.2024 को के.डी.ए. कोटा में पटवार शाखा में दी थी व मेरे क्षेत्र का पटवारी रॉकी आरौडा जो पटटा बनाने का कार्य कर रहे है। उन्होने मेरे पटटे जारी करवाने हेतु पहले तो फाईल में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की व मुझसे 18000 रूपये बतौर रिश्वत मांग रहे थें, जिसने मेरे से पांच दिन पूर्व दो किश्तो में 6000/- रूपये व 9000/- रूपये रिश्वत के ले चुका है। व मेरे अब जब मेरे प्लाट का पटटा लगभग तैयार है और मेरे द्वारा पटटे की पुरी राशि दिनांक 08.11.2024 को राशि 209108/-रूपये जिसकी रसीद संख्या 1308 ऑनलाईन माध्यम से के.डी.ए. कोटा के खाते में जमा की जा चुकी है तो अब रॉकी पटवारी मेरा पटटा देने की एवज में मेरे से तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग रहा है मै मेरे जायज काम के लिए रॉकी पटवारी को रिश्वत राशि तीन हजार रूपये देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी रॉकी पटवारी से कोई पुरानी रंजिश या लेनदेन बकाया नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजीद दरयाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व रिश्वत के.डी.ए. कोटा परिसर मे ही आकर देने हेतु कहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया है अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से समयः-1245 पी.एम कार्यालय में उपस्थित श्री लालचन्द कानि. को तलब कर परिवादी का परिचय करवाया गया। मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी का निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड Sandisk ultra 32 GB रखा जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड मोड पर किया जाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की समझाई गई व डिजिटल वाईस रिकार्ड जर्ये फर्द सुपुदर्गी परिवादी को सुपुर्द किया जाकर श्री लालचन्द कानि को हिदायत दी कि के.डी.ए. कोटा पहुचने से पूर्व परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर उसमें स्वयं की आवाज से डिजिटल वाईस रिकार्ड सुपुर्द करने की अपनी आवाज रिकार्ड कर डिजिटल वाईस रिकार्ड परिवादी रिश्वत मांग के सत्यापन संभलाये तथा स्वंय भी यथा संभव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करे। दोनो को कार्यालय हाजा से मुनासिब हिदायत कर के.डी.ए. कोटा हेतु रवाना किया गया। समयः-0140 पी.एम. पर परिवादी श्री अभिनव सिंह मय श्री लालचन्द कानि के वापस कार्यालय आये व बताया कि मै लालचन्द जी कानि. को साथ लेकर के.डी.ए. कोटा के बाहर पहुचां जहा पर लालचन्द जी ने मेरे से वॉईस रिकार्डर लेकर उसमें स्वंय आवाज से डिजिटल वाईस रिकार्ड मुझे सुपुर्द करने की अपनी आवाज रिकार्ड करके मुझे सुपुर्द कर दिया था इस पर मै के.डी.ए. कोटा में स्थित पटवार कक्ष में पहुचा तो वहा पटवारी रॉकी अरोडा उनकी सीट पर नही मिला इस पर मैने मेरे स्वंय के मोबाईल नम्बर [redacted] से रॉकी अरोडा के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो उसने बताया कि मै किशनपुरा तकिया की तरफ आ गया हुँ। तो मैने कहा कि मै आपको बाद में कॉल करके पुछ लुगां। उसके बाद मै वापस लालचन्द जी कानि. के पास आया व डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द करके दोनो वापस कार्यालय आयें है। डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वंय के कब्जे मे लिया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादी को रॉकी पटवारी का फोन आने पर वापस कार्यालय आने व गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर रूखसत किया गया। समयः-0525पी.एम.परिवादी अभिनव सिंह वापस कार्यालय आया और बताया कि मेरी रॉकी पटवारी जी से फोन पर बात हो गयी है उन्होने मुझे के.डी.ए. कोटा कार्यालय मे बुलाया है, इस पर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधी पुनः समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर जर्ये फर्द सुपुर्दर्गी सुपुर्द कर के.डी.ए. कोटा रवाना किया गया व लालचन्द कानि को परिवादी के हमराह निगरानी हेतु रवाना कर हिदायत की गई पर यथा संभव सत्यापन वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करे। समयः-0705पी.एम. परिवादी श्री अभिनव सिहं व श्री लालचन्द कानि. मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आये व परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै व लालचन्द कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर के.डी.ए. कोटा के बाहर पहुचें जहां पर मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर के.डी.ए. कोटा पटवार कक्ष पहुचां

तो पटवारी रॉकी अरोडा मिटिंग में जा रहा था जिसने मेरे से कहा कि मै अभी मिटिंग में जा रहा हुँ तुम यहीं वैट करो इस पर मै वहीं रूक गया फिर करीब एक घंटा बाद रॉकी अरोडा पटवारी मिटिंग से बाहर आया तब मेरी उससे रिश्वत लेनदेन व मेरे पटटे के सबंध में वार्ता की रॉकी अरोडा ने मुझे पटटा दिखाते हुए कहा कि आपका सब जगह से कम्पलीट हो गया, डिस्पेच करूगां ना, फिर रॉकी पटवारी ने मेरे से कहा कि वो तीन हजार रूपये फोन-पे करोगे या केश दोगे आप, मैने कहा कि तीन हजार ज्यादा है तो पटवारी ने कहा कि मै शाम पडे झुठ नही बोलता। मैने उससे कहा कि मै साढे पन्द्रह हजार रूपये तो पहले की खर्च कर चुका हुँ। तो उसने कहा कि तीन हजार ही देने पडेगे आपको बस हो गया सब कम्पलीट है और सुबह मै फोन करू तब आना हैं मैने उनसे पुनः निवेदन किया कि हजार दो हजार ले लो ना, तो उन्होने कहा हमारा फिक्स है। मेरे बार बार निवेदन करने पर भी वह तीन हजार रूपये रिश्वत मांग की व कहा है कि कल मै फोन करूं तब आ जाना। श्री लालचन्द कानि द्वारा भी उक्त तथ्यो की ताईद की। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताये उक्त तथ्यो की पुष्टि हुई अतः डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा। समयः-0740पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनने से आरोपी द्वारा परिवादी को कल फोन करने पर रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा है अतः परिवादी को कल दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 10 बजे रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने एवं गोपनियता बनाये रखने बाबत समझाईश कर रूखसत किया। दिनांक 26.11.2024 समयः-0945 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही को होने की संभावना के मध्य नजर ट्रेप कार्यवाही हेतु बतौर स्वतंत्र गवाह दो सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होने से कार्यालय के श्री भुपेन्द्र सिंह कानि को तहरीर उपवन संरक्षक कोटा के नाम जारी कर अपने साथ दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी लेकर आने की हिदायत कर रवाना किया गया। समयः-1005ए.एम. पर परिवादी श्री अभिनव सिंह पाबन्दशुदा उपस्थित कार्यालय आया तथा समयः1020 ए.एम. पर श्री भुपेन्द्र कानि 292 कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा से अपने साथ 02 स्वतंत्र गवाह .श्री धीरज सैनी पुत्र श्री सुरेश सैनी उम्र 24 साल जाति सैनी निवासी गुलाबबाडी लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा व. श्री मोहनलाल पुत्र हरिशंकर मेहता उम्र 35 साल निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा को लेकर उपस्थित कार्यालय आया। समयः-1025 ए.एम.पर आमदा स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी कनिष्ठ सहायक व श्री मोहनलाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति चाही गई व परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र पढवाया गया एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुनाए गए। इस पर दोनों गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति देते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। समयः-1040 ए.एम.पर परिवादी श्री अभिनव सिंह, आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा पटवारी के मध्य केडीए कोटा पर दिनांक 25.11.2024 में हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे नए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई थी, को श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी रॉकी अरोड़ा की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः-1100 ए.एम. पर परिवादी श्री अभिनव सिंह, आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा पटवारी के मध्य केडीए कोटा पर दिनांक 25.11.2024 में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे नए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई थी, को श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी रॉकी अरोड़ा की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अभिनव सिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 6 नोट कुल 3000 रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MN 139927 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GD 806935 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9CF 849917 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8MN 713076 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DC 141637 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9NS 885823 उपरोक्त गवाहान व परिवादी के समक्ष मेरे निर्देशानुसार सभी नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर की कार्यवाही हेतु कार्यालय के मालखाने से श्रीमती सुमन शर्मा महिला कानि. 275 के द्वारा फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोलफ्थलीन पाउडर डलवाकर सभी नम्बरी नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया कि पाउडर की उपस्थिति अदृश्य लेकिन प्रभावी रहे। स्वतन्त्र गवाह श्री धीरज सैनी से परिवादी श्री अभिनव सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई तथा फिनोलफ्थलीन पाउडर लगे नम्बरी नोटो को सीधे ही श्रीमती सुमन शर्मा महिला कानि. 275 से परिवादी की पहनी हुई जैकिट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। कार्यालय में लगे पानी के कैम्पर से डिस्पॉजल गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग

अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती सुमन शर्मा महिला कानि. 275 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टान्त देकर फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की उपयोगिता क्रिया-प्रतिक्रिया को सभी उपस्थित हाजरीन को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो सोडियम कार्बोनेट के घौल में उसके हाथ धुलवाने की यही प्रकिया अपनाई जायेगी जिससे यह सिद्व होगा कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ से गृहण की है। उक्त प्रक्रिया मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पॉल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। महिला कानि के हाथ साबुन पानी से धुलवाया जाकर फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाने में रखवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध कर्मचारी से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को छुवें। संदिग्ध द्वारा रिश्वत मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी जैकिट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करे या अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिसकॉल करे। मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाइल नंबर परिवादी को दिए। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसकी पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर पृथक से मुर्तिब की गई। समयः-1203 पी.एम. पर आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा के मोबाईल नं. [redacted] से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादी के मोबाईल नंम्बर [redacted] पुनकॉल आया इस पर परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा, पटवारी ने परिवादी को अपने केडीए कोटा कार्यालय में आने हेतु कहा है। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समयः-1209 पी.एम. पर आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा के मोबाईल नं. [redacted] से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादी के मोबाईल नंम्बर [redacted] पर पनः कॉल आया इस पर परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा, पटवारी ने परिवादी को अपने असल पत्रादि की पत्रावली साथ लेकर केडीए कोटा कार्यालय में आने हेतु कहा है। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समयः-12.15 पी.एम.पर परिवादी श्री अभिनव सिंह, आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा पटवारी के मध्य समय 12.03 पीएम पर हुई मोबाइल वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे नए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई थी, को श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी रॉकी अरोड़ा की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाइल वार्ता-प्रथम मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः-12.25 पी.एम.पर परिवादी श्री अभिनव सिंह, आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा पटवारी के मध्य समय 12.09 पीएम पर हुई मोबाइल वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे नए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई थी, को श्री लालचन्द कानि. 30 द्वारा लेपटोप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी रॉकी अरोड़ा की पहचान की गई। गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाइल वार्ता-दीतीय मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री अभिनव सिंह को स्वयं की कार से मय श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री लालचन्द कानि. 30 के आरोपी के बताये स्थान केडीए कोटा रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक परिवादी के पीछे-पीछे सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम, व जाप्ता श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85, श्रीमती सरोज गौड़ हैड कानि. 81, श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, श्री किशनलाल उप निरीक्षक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के मय लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एंव आवष्यक ट्रेप सामग्री के कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 01.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी के पीछे पीछे केडीए कोटा परिसर पहुँचा, जहाँ परिवादी मय श्री लालचन्द कानि. 30 व श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 के उपस्थित मिले। समय 01.03 पी.एम. पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी पटवारी के पास रिश्वती राशि देने हेतु रवाना किया गया तथा परिवादी के हमराह श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 को रवाना कर हिदायत की गई कि वह रिश्वत लेन देन को यथा संभव आस पास रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। मन पुलिस निरीक्षक मय श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 व स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल केडीए कोटा भवन के ग्राउण्ड फ्लोर के चौक में परिवादी के इशारे के इंतजार में मुकीम हुआ तथा जाप्ता श्री किशनलाल उनि., श्रीमती सरोज हैड कानि. 81, श्री लालचन्द कानि. 30 व स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी को परिवादी के पीछे-पीछे केडीए कोटा भवन के प्रथम तल के लिए रवाना किया गया व जाप्ता को हिदायत की गई कि वह अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश का इंतजार करें। समय 01.13 पी.एम.पर परिवादी श्री अभिनव सिंह पुत्र स्व. श्री हंसराज सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी बी-1307 श्रीनाथ ओएसिस खेड़ली फाटक कोटा ने आरोपी के बैठक कमरा नम्बर 112 के सामने बाथरूम के बाहर

बरामदे में से सिर पर हाथ फैरकर मन् पुलिस निरीक्षक की ओर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान धीरज सैनी, मोहन लाल व हमराही जाप्ता श्री किशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस, श्रीमती सरोज गौड, महिला हैड कानि 81, श्री मुकेश सैनी हैड कानि 85, श्री लालचन्द कानि 30, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि 292, श्री घनश्याम कानि चालक, श्री राजेन्द्र कानि 279, परिवादी के पास पंहुचे तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त किया जाकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। उसी दौरान वॉसरूम में से एक व्यक्ति नीले रंग की जीन्स पेन्ट व ग्रे चैक की शर्ट व टॉपी लगाये बाहर निकला जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही रॉकी अरोडा पटवारी है। जिसने मेरे से मेरे प्लॉट का पटटा देने की ऐवज में रिश्वत राशि 3000 रू प्राप्त कर दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट दाहिनी जेब में रख लिये हैं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का पूर्ण परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुये उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम रॉकी अरोडा पुत्र श्री महेश अरोड़ा जाति पंजाबी, उम्र 43 साल निवासी 2-एम-5, तलवण्डी, कोटा हाल पटवारी, कोटा विकास प्राधिकरण, पटवार हल्का सोगरिया, चन्द्रशेल, स्टेशन एरिया, कोटा होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 3,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी रॉकी ने बताया कि मैनें अभिनव से कोई पैसे नही लिये है इन्होनें खुद ही मेरी पहनी हुई पेन्ट की दायी जेब में रख दिये है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री अभिनव सिंह ने आरोपी श्री रोकी अरोडा की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि यह पटवारी जी झूठ बोल रहा हैं मैनें दिनांक 23.07.2024 को केडीए कोटा की पटवार शाखा में मेरे प्लॉट के पटटा जारी करवाने हेतु फाईल दी थी। पटवारी रॉकी अरोडा ने मेरी फाईल में कोई कार्यवाही नहीं की। मैनें पटटे की फीस के तौर पर 209108 रूपये जरिये चालान केडीए के खाते में जमा करवा दिये थे फिर मैं पटवारी जी से मिला तो मेरे से 18000 रू रिश्वत की मांग की व 15000 रू चार पांच रोज पहले प्राप्त कर चुका है मैनें बाकी के 3000 रू नही दिये तो इसने मेरा पटटा जारी नही करवाया और 3000 रू पटटा देने की ऐवज में रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था जिसकी शिकायत मैनें आपके पास की थी तथा जिस पर आप द्वारा कल दिनांक 25.11.2024 को मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर देकर इनके पास भेजा था जिसमें भी यह मुझसे रिश्वत राशि 3000 लेकर आज बुलाया था तथा आज ही पटटा देने की बात कही थी। कल हुई वार्ता के अनुसार ही मैं तीन हजार रूपये अभी थोडी देर पहले पटवार कक्ष में जाकर इनसे मिला तो इन्होनें मुझे कहा कि नकद लाये हो या ऑन लाईन करोगें। मैनें नकद लाने हेतु कहा तो इन्होने मुझे पटटा हस्ताक्षर करवाकर देने की बात कहते हुऐ मेरे पटटे से सम्बधिंत फाईलों को अपने साथ लेकर बाहर आये तथा वॉशरूम में जाते समय मेरे से 3000 रू रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में लेकर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी सामने की जेब में रख लिये थे व फाईलों को वॉशरूम के बाहर ही विक्रय शाखा के सामने बरामदे में स्थित रैलिंग की दीवार के ऊपर रख दी थी जो अभी भी यही पडी है। अतः परिवादी से सम्बधिंत फाईलों को उठाकर कब्जे में लिया गया, जिसमें एक पत्रावली हल्के गुलाबी रंग के फाईल कवर में है जिसमें पटटे हेतु परिवादी द्वारा दिये गये दस्तावेज लगे हुऐ है तथा दुसरी पत्रावली एक बैंच में ऑलपीन से एक लगायत 12 तक फाईल पेड में रखी हुई है। तत्पश्चात आरोपी श्री रॉकी अरोडा का दाहिना हाथ श्री भूपेन्द्र सिंह कानि व बायां हाथ श्री लाल चन्द कानि से कलाई के ऊपर से पकडवाया गया। घटना स्थल पर पब्लिक परिसर व खुले में होने से भीड़ एक्त्रित होने से दोनो हाथो को पकडे पकडे रवाना होकर जोन प्रथम तहसीलदार श्री हिम्मत सिंह के कक्ष में लाकर तहसीलदार से कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया तो उनके द्वारा मौखिक रूप से कमरा नम्बर 122 को कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया। इस पर कमरा नम्बर 122 में आकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा की हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु कमरे में रखे कैम्पर से दो साफ डिस्पॉजल गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर दोनों गिलासों में डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश RH-1,RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी रॉकी अरोडा के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का मटमैला हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश LH -1,LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा ने परिवादी से रिश्वत राशि 3,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखना परिवादी ने बताया है। इसलिए स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी से पटवारी रॉकी अरोडा की पहनी हुई पेन्ट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी रॉकी अरोडा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायी जेब से 500-500 के नोट बरामद हुये। उक्त बरामद राशि को गिनवाया गया तो गवाह श्री धीरज सैनी ने उक्त राशि को गिनकर 500-500 रूपये के छः नोट कुल 3,000 रूपये होना बताया। दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री मोहन लाल मेहता को फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से बरामद राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु रिश्वत राशि 3,000 रूपये के नोट होना बताया गया। उक्त बरामदषुदा रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये को एक खाकी कागज के लिफाफे

में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। पेन्ट की जेब की धुलवाई हेतु एक पायजामा की व्यवस्था कर पहनने के लिए आरोपी रॉकी अरोड़ा को दिया गया। आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा द्वारा पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने पर एक अन्य साफ डिस्पॉजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी रॉकी अरोडा की उतरवाई गई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब, जिससे रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश P-1,P-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी पटवारी रॉकी अरोडा की पहनी हुई पेन्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकिट पर मार्क-Pअंकित कर पेकिट को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी के पटटे से सम्बधिंत पत्रावली का अवलोकन किया गया तो एक पत्रावली हल्के गुलाबी रंग के फाईल कवर में है जिसमें पटटे हेतु परिवादी द्वारा दिये गये दस्तावेज क्षतिपूर्ति बन्द पत्र तथा ईकरानामा इत्यादि की प्रतियां लगी हुई है। जिसमें पेज संख्या 01 लगायत 26 तक है तथा दुसरी पत्रावली एक बैंच में ऑलपीन से 1 लगायत 12 तक है। इस पत्रावली के उपर पीले रंग के चालान की प्रति मूल क्रमांक 1308 दिनांक 08.11.2024 राशि 209108 रू की लगी हुई है। पेज संख्या 1 व 2 पर कार्यालय टिप्पणी, पेज संख्या 3,व 4 पर केडीए का प्रमाण पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 26.11.2024 है। पेज संख्या 5 व 6 पर केडीए का भू आवटंन पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 26.11.2024 है। पेज संख्या 7 पर केडीए का उप पंजियक एवं मुद्राक कोटा का अनापत्ति प्रमाण पत्र है। पेज संख्या 8 व 9 पर दो प्रतियों में केडीए का पटटा विलेख क्रमाकं 1370 दिनांक 26.11.2024 है जिसके सामने के भाग पर पटटा धारक व प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा पटटे के पीछे के भाग पर पटटा धारक के हस्ताक्षर है लेकिन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। पेज संख्या 10 से 12 तक केडीए का भूखण्ड साईट प्लान का नक्शा है। परिवादी के पटटे से संबंधित पत्रावलियों को तहसीलदार, के.डी.ए., जोन-प्रथम, कोटा को पृथक से जरिए पत्र सुपुर्द किया जावेगा। आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा के पास मोबाईल एप्पल कम्पनी (आईफोन 14प्रो.) का जिसके आईएमईआई नंबर 356901452268963 व 356901452411373 जिसमें एक ही सिम कार्ड मोबाईल नम्बर [redacted] जिओ कम्पनी की लगी हुई है चूंकि आरोपी श्री रॉकी अरोडा के मोबाईल नम्बर [redacted] एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई है। अतः आरोपी के उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत अनुसंधान हेतु कब्जे ब्यूरो लिया गया। ट्रेप कार्यवाही की विडियोरिकॉर्डिंग श्री राजेन्द्र कानि. 279 से स्वयं के मोबाइल में लगे नए मैमोरी कार्ड में करवाई गई। कार्यवाही की फर्द हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 04.22 पीएम पर डिटेनशुदा आरोपी श्री रॉकी आरोडा का सेवा विवरण चाहने हेतु मय प्रोफार्मा के पत्र क्रमांक एसपीएल 1 दिनांक 26.11.2024 तहसीलदार, केडीए कोटा को दिया जाकर रसीद प्राप्त की गई। समय 04.38 पीएम पर डिटेनशुदा आरोपी श्री रॉकी आरोडा के कब्जे से दौराने कार्यवाही परिवादी के पटटे से सम्बधिंत पत्रावलियां जो कि मूल ही कब्जे में ली गई थी, उक्त दोनो पत्रावलियों को सुपुर्द करने व उक्त पत्रावलिया जो कि परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बधिंत है की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु तहसीलदार, केडीए, कोटा को पत्रांक एसपीएल 2 दिनांक 26.11.2026 से सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। समय 0440 पी.एम. पर परिवादी श्री अभिनव सिंह व आरोपी श्री रॉकी अरोडा पटवारी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे कानि 30 श्री लाल चन्द से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरकारी लेपटोप में चलाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी,गवाहान की उपस्थिति मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री लाल चन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.45 पी.एम. पर उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से उनके पत्र क्रमांक 881 दिनांक 26.11.2024 के सलग्न आरोपी श्री रॉकी आरोडा का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। समय 05.50 पी.एम.पर तहसीलदार, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 26.11.2024 के सलग्न परिवादी के पैण्डिगं कार्य से सम्बधिंत पटटा पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि कुल 9 पेज एवं आवेदन पत्रावली के पेज 01 से 06 प्रमाणित व बचे हुऐ अप्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.30 पी.एम पर आरोपी श्री रॉकी अरोड़ा पटवारी केडीए कोटा को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस जरिये कार्यालय पत्रांक एसपीएल-3 दिनांक 26.11.2024 द्वारा दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर लिखित में अंकित किया कि-"मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। समय 06.40 पीएम पर सम्पूर्ण टे्प कार्यवाही, परिवादी के प्रार्थना पत्र, सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता, सम्पूर्ण फर्दात के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा द्वारा परिवादी श्री अभिनव सिंह से द्वारा दिनांक 23.07.2024 को केडीए में प्लॉट संख्या 2, अमृत कलस कॉलोनी सोगरिया, कोटा जक्शन, कोटा का पटटा जारी करवाने हेतु पत्रावली केडीए में जमा होने के पश्चात आरोपी पटवारी रॉकी अरोडा ने रिश्वत राशि प्राप्ति की मंशा से परिवादी की फाईल में लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी द्वारा पटटे की फीस के

तौर पर 20,9108 रूपये जरिये चालान केडीए के खाते में जमा करवाने के बाद भी आरोपी ने परिवादी से 18,000 रू रिश्वत की मांग करना व 15,000 रू पूर्व में प्राप्त करना तथा दिनांक 25.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3000 रू की और मांग कर मोबाइल पर फोन कर रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहना व मांग के अनुरूप आज दिनांक 26.11.2024 को आरोपी श्री रॉकी अरोडा द्वारा परिवादी से 3,000 रू ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखना, रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी रॉकी अरोड़ा की पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होना, आरोपी के दाहिने हाथ व पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री रॉकी अरोडा पुत्र श्री महेश अरोड़ा जाति पंजाबी, उम्र 43 साल निवासी 2-एम-5, तलवण्डी, कोटा हाल पटवारी, कोटा विकास प्राधिकरण, पटवार हल्का सोगरिया, चन्द्रशेल, स्टेशन एरिया, कोटा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित है। आरोपी द्वारा साक्ष्य के साथ छेडछाड करने व परिवादी व गवाहान को प्रभावित करने एवं आरोपी की न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित करने आरोपी की गिरफ्तारी होना आवश्यक होने से आरोपी को उसकी गिफ्तारी के आधारो एवं कानूनी प्रावधानो से अवगत कराया जाकर कार्यवाही हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उपस्थित आरोपी के छोटे भाई श्री जतिन आरोडा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से हस्ब कायदा मूर्तिब कर फर्द पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.55 पीएम पर दिनांक 25.11.2024 को परिवादी श्री अभिनव सिंह व आरोपी श्री रॉकी आरोडा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 26.11.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं प्रथम व दीतीय एंव रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे नये मैमोरी कार्ड Sandisk ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था,को मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि 30 द्वारा कार्यालय के लेपटोप से 03 पेनड्राईव KDM 32 GB में प्रतिलिपिकरण करवाया गया। जिसमें,एक पेनड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान हेतु, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए अलग-अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगाये गये मैमौरी कार्ड Sandisk ultra 32 GB को बतौर वजह सबूत न्यायालय हेतु एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द प्रतिलिपिकरण पृथक से मूर्तिब कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ताओ की लैपटॉप से हैशवैल्यू निकाली जाकर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.00 पी.एम. पर दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र कुमार कानि द्वारा उनके मोबाईल में लगे नये मैमोरी कार्ड KDM 32 GB में विडियो रिकोर्डिगं की गई थी, को मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि 30 द्वारा कार्यालय के लेपटोप से 01 पेनड्राई व KDM 32 GB में प्रतिलिपिकरण करवाया गया। पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया।उक्त विडियो रिकॉर्डिगं में प्रयुक्त KDM 32 GB मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकलवाया जाकर बतौर वजह सबूत न्यायालय हेतु एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द प्रतिलिपिकरण पृथक से मूर्तिब कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विडियो रिकॉर्डिगं की लैपटॉप से हैशवैल्यू निकाली जाकर पृथक से शामिल पत्रावली कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.30 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा का घटना स्थल केडीए भवन का प्रथम तल जिस पर लाईटो की प्रयाप्त रोशनी होने से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष,बमौजूदगी परिवादी के कार्यवाही हाजा के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर धटना स्थल का फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 9.55 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टीकल्स (धौवन की शील्डषुदा छ शीशीया, आरोपी के पेन्ट का शील्डशुदा पैकिट, प्रतिलिपिकरणशुदा के 04 पैन ड्राईव, 02 शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि 3000 रू का लिफाफा, आरोपी का मोबाईल) मय जाप्ता मय गिफ्तारशुदा आरोपी श्री रॉकी आरोडा मय सरकारी वाहन व चालक के कोटा विकास प्राधिकारण, कोटा से बाद कार्यवाही के एसीबी चौकी के लिए रवाना हुआ। ट्रेप कार्यवाही हेतु काम मे लिया गया कक्ष कमरा नम्बर 122 चौकीदार श्री युवराज सिह होमगार्ड नम्बर 1528 को यथास्थिति में सम्भलाया गया। समय 10.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टीकल्स (धौवन की शील्डशुदा छ शीशीया, आरोपी के पेन्ट का शील्डशुदा पैकिट, प्रतिलिपिकरणशुदा के 04 पैन ड्राईव, 02 शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि 3000 रू का लिफाफा, आरोपी का मोबाईल) मय जाप्ता मय गिफ्तारशुदा आरोपी श्री रॉकी आरोडा मय सरकारी वाहन व चालक एवं जप्त शुदा आर्टिकल्स के कोटा विकास प्राधिकारण, कोटा से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आया जहां जप्तशुदा उपरोक्त समस्त आर्टिक्लस जमा मालखाना किये गये तथा परिवादी एवं गवाहान को सकुशल कार्यालय से रूकसत किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, परिवादी के प्रार्थना पत्र, सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता, सम्पूर्ण फर्दात के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी पटवारी श्री रॉकी अरोडा द्वारा परिवादी श्री अभिनव सिंह से द्वारा दिनांक 23.07.2024 को केडीए में प्लॉट संख्या 2, अमृत कलस कॉलोनी सोगरिया, कोटा जक्शन, कोटा का पटटा जारी करवाने हेतु पत्रावली केडीए में जमा होने के पश्चात आरोपी पटवारी रॉकी अरोडा ने रिश्वत राशि प्राप्ति की मंशा से परिवादी की फाईल में लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी द्वारा पटटे की फीस के तौर पर 20,9108 रूपये जरिये चालान केडीए के खाते में जमा करवाने के बाद भी आरोपी ने परिवादी से 18,000 रू रिश्वत की मांग करना व 15,000 रू पूर्व में प्राप्त करना तथा दिनांक 25.11.2024 को

रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3000 रू की और मांग कर मोबाइल पर फोन कर रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहना व मांग के अनुरूप आज दिनांक 26.11.2024 को आरोपी श्री रॉकी अरोडा द्वारा परिवादी से 3,000 रू ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखना, रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी रॉकी अरोड़ा की पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होना, आरोपी के दाहिने हाथ व पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री रॉकी अरोडा पुत्र श्री महेश अरोड़ा जाति पंजाबी, उम्र 43 साल निवासी 2-एम-5, तलवण्डी, कोटा हाल पटवारी, कोटा विकास प्राधिकरण, पटवार हल्का सोगरिया, चन्द्रशेल, स्टेशन एरिया, कोटा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर कार्यवाही हाजा में हस्व कायदा गिरफतार किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के पेण्डिग कार्य से सम्बधित पत्रावली के अवलोकन अनुसार द्वीतीय पत्रावली के 11 पेज में पेज संख्या 1 व 2 पर कार्यालय टिप्पणी, पेज संख्या 3 व 4 पर केडीए का प्रमाण पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 26.11.2024, पेज संख्या 5 व 6 पर केडीए का मूल भू आंवटन पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 26.11.2024, पेज संख्या 7 पर केडीए का उप पंजीयक एंव मुद्रांक कोटा का अनापत्ती प्रमाण पत्र, पेज संख्या 8 व 9 पर दो प्रतियो में केडीए का पटटा विलेख क्रमांक 1370 दिनांक 26.11.2024 है। जिसके सामने के भाग पर पटटा धारक व प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा पटटे के पीछे के भाग पर पटटा धारक के हस्ताक्षर है लेकिन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। इस संबधं में अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा। अतः अरोपी के विरूद उक्त धाराओ मे अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (पृथ्वीराज) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट., कोटा..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट., कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रॉकी अरोडा पुत्र श्री महेश अरोडा जाति पंजाबी उम्र 43 साल निवासी 2 एम 5 तलमण्डी कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का सोगरीया चन्द्रशेल स्टेशन एरिया कोटा, कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डा.प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 390 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1512-15 दिनांक 27-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- जिला कलक्टर, कोटा। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट., कोटा । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): DR PRERNA SHEKHAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/11/2024 21:11:40

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/08/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)